

सुनिता

बनाम

भागाराम

मुकदमा

वाद पत्र

मु. नं.

167

वर्ष

2012

दिनांक

आज्ञा-पत्र

10/6/21

पत्रावली अदि. उपपत्र (जकार्ड आर्कैड) एडुअवला याद) अन्तिम अवला रिया जाग हैं फा बाद जकार्ड आर्कैड (निंम 15/12/20 के पेशा हे)

+

5/2/21

पत्रावली वही संख्या 1 द्वारा जरिये सुड. प्रिसल तलवी का आवेदन पेश करने पर पेशी में ली गई। वदीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से अधिवक्ता. श्री प्रदीप जोशी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधि. श्री राहुल चौधरी व सुश्री कुलकुल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। वदीगण की ओर से एडु आवेदन बाकत दावा किने करने इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजिनामा हो गया है प्रकरण को अगे नहीं चलाना चाहते हैं। अधिवक्ता वदीगण द्वारा पत्रावली में प्रकरण को नोट प्रेस किये जाने हेतु नोटिस दिया गया। अतः वाद वदीगण को वदीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा अधिवक्ता वदीगण द्वारा नोटिस करने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल कुमार हीकर नम्बर से कम है। दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

+

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Not
Pr
G
5 H